# भारतीय संसद (राज्य सभा सचिवालय) (भर्ती प्रकोष्ठ)

विज्ञापन सं. 1/2016

## ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभिक तिथि:18.07.2016

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि:29.08.2016

राज्य सभा सचिवालय में नीचे दी गई अनंतिम रिक्ति स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

1	2	3	4		5			
पद	पद	पदनाम और वेतनमान	रिक्तियों की अनंतिम संख्या			पद के लिए अनुमत्य		
समूह कोड			कुल	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अनारक्षित	शारीरिक दिव्यांगता का स्वरूप
I	1	कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (अंग्रेजी/हिन्दी): 15600- 39100 रुपये (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	1	1				
	2	कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (असमिया): 15600-39100 रुपये (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	1	- शून्य	1	1	2	
II	3	किनष्ठ संसदीय भाषांतरकार (मराठी): 15600-39100 रुपये (वेतन बेंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	1	- સૂપ્વ				ओ.एल./बीएल.,
	4	किनष्ठ संसदीय भाषांतरकार (उर्दू): 15600-39100 रुपये (वेतन बेंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	1	1		ı		ओ.ए.,ओ.ए.एल, बी./एल.वी.
III	5	किनष्ठ संसदीय वृत्तलेखक (हिन्दी): 15600-39100 रुपये (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	4	4 1 1 1 5				
	6	कनिष्ठ संसदीय वृत्त-लेखक (अंग्रेजी): 15600-39100 रुपये (वेतन बेंड-3) ग्रेड वेतन: 5400 रुपये	4		'	ı	5	ओ.एल./बीएल.
	7	वरिष्ठ अधिशासी/विधायी/समिति/नयाचार सहायकः ९३००- ३४८०० रुपये (वेतन बैंड-२) ग्रेड वेतनः ४८०० रुपये	23	4	2	5	12	ओ.एल./बीएल., ओ.ए., एच.एच.
	8	अनुसंधान सहायकः ९३००-३४८०० रुपये (वेतन बैंड-२) ग्रेड वेतनः ४८०० रुपये	8	1	1	1	5	ओ.ए.,ओ.एल., एच.एच.
	9	आशुलिपिक (अंग्रेजी): ९३००-३४८०० रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतन: ४२०० रुपये	6	शून्य	1	2	3	ओ.एल./बीएल.
IV	10	सुरक्षा सहायक ग्रेड-॥: ९३००-३४८०० रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतन: ४२०० रुपये	16	2	शून्य	5	9	यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।
	11	किनष्ट पुस्तकालय सहायकः ९३००-३४८०० रुपये (वेतन बैंड-२) ग्रेड वेतनः ४२०० रुपये	2	शून्य	शून्य	शून्य	2	ओ.ए.,ओ.एल., एच.एच.
	12	कनिष्ठ लिपिक (अंग्रेजी): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन: 2400 रुपये	30					ओ.एल., बीएल.,
	13	कनिष्ठ लिपिक (हिन्दी): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन: 2400 रुपये	2 7 2 6 18		18	एच.एच.		
	14	कनिष्ठ लिपिक (उर्दू): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन: 2400 रुपये	1					

V	15	अनुवादकः ९३००-३४८०० रुपये (वेतन बैंड-२) ग्रेड वेतनः ४८०० रुपये	28	4	1	7	16	ओ.एल./बीएल., ओ.ए.,ओ.ए.एल, एच.एच.
V	16	कनिष्ठ पूफ रीडर: 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन: 2800 रुपये	13	2	1	3	7	ओ.एल./बीएल., ओ.ए.,ओ.ए.एल, एच.एच.
VI	17	स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतनः 2400 रुपये	2	शून्य	शून्य	1	1	यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरः - ओ.एल.: एक पैर से दिव्यांग, बी.एल.: दोनों पैरों से दिव्यांग, ओ.ए.: एक बांह से दिव्यांग, ओ.ए.एल: एक बांह और एक पैर से दिव्यांग, एच.एच.: श्रवण दिव्यांग, बी.: दृष्टिबाधित, एलवी: अल्प-दृष्टि

ऊपर दर्शाए गए विभिन्न पदों के लिए दी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इनमें परिवर्तन हो सकता है। यदि रिक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के आयोजित किए जाने से पहले उसकी सूचना राज्य सभा की वेबसाइट पर अधिसूचित कर दी जाएगी। सचिवालय का यह प्रयास रहता है कि कार्यबल में स्त्री-पुरुष का संतुलन बना रहे और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

#### 2. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

उपर्युक्त रिक्तियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या इस प्रकार है:

पदनाम	सेवा का आरक्षित पर समूह की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की श्रेणियां		
कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार	समूह 'क'	1	दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टि (बी./एल.वी.)		
वरिष्ठ अधिशासी/विधायी/समिति/ नयाचार सहायक		1	श्रवण दिव्यांग (एच.एच.)		
आशुलिपिक	समूह 'ख'	1	अस्थि दिव्यांग (ओ.एल./बी.एल.)		
अनुवादक		1	अस्थि दिव्यांग (ओ.एल./बी.एल., ओ.ए., ओ.ए.एल.)		
कनिष्ठ लिपिक (अंग्रेजी)		1	श्रवण दिव्यांग (एच.एच.)		
कनिष्ठ पूफ रीडर	समूह 'ग'	1	अस्थि दिव्यांग (ओ.एल./बीएल., ओ.ए., ओ.ए.एल.)		

<sup>3.</sup> एक ही "पद समूह", जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका के कॉलम 1 में दर्शाया गया है, में शामिल एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते समय एक ही आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए। तथापि, भिन्न "पद समूहों" में दिए गए पदों के लिए पृथक आवेदन पत्र भरे जाने चाहिए।

# 4. पात्रता संबंधी शर्तैः क. अर्हताएं और अनुभवः

पद	पद	पदनाम	अर्हताएं और अनुभव
समूह	कोड		. 3
I	1	कनिष्ठ संसदीय	अनिवार्यः
		भाषांतरकार (अंग्रेजी/हिन्दी)	डिग्री स्तर तक हिन्दी भाषा माध्यम से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री स्तर तक अंग्रेजी भाषा माध्यम से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीय:
			वाछनायः (i) अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव।
			(ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
II	2	कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (असमिया)	अनिवार्यः डिग्री स्तर तक असमिया भाषा से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीयः
			(i) असमिया या अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव और अंग्रेजी/हिन्दी में डिग्री।
			(ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
II	3	कनिष्ठ संसदीय	अनिवार्यः
		भाषांतरकार (मराठी)	डिग्री स्तर तक मराठी भाषा से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीयः
			(i) मराठी या अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव और अंग्रेजी/हिन्दी में डिग्री।
			(ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
II	4	कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (उर्दू)	अनिवार्यः डिग्री स्तर तक उर्दू भाषा से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीयः
			(i) उर्दू या अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव और अंग्रेजी/हिन्दी में डिग्री।
			(ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।

III	5	कनिष्ट संसदीय	अनिवार्यः
"		वृत्तलेखक (हिन्दी)	(i) किसी भी विषय में स्नातक डिग्री; और
			(ii) हिन्दी में 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति। परंतु
			यदि रिक्तियों को भरने के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम
			आशुलिपि गति धारक अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो
			140 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति धारक अभ्यर्थियों की
			भर्ती की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी वार्षिक वेतनवृद्धि या स्थायी किए जाने या पदोन्नति के पात्र तब तक नहीं होंगे जब तक कि वे
			१६० शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर लेते।
			परंतु यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ संसदीय वृत्तलेखक का पदभार
			ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 160 शब्द प्रति मिनट
			की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर पाता है, तो किसी अन्य पद
			पर धारणाधिकार न होने के मामले में, उसे बर्खास्त किया जा सकता है
			और अन्य मामले में, उसे उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेजा जा सकता है।
			वांछनीय:
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ'
			स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	6	कनिष्ठ संसदीय	अनिवार्यः
		वृत्तलेखक (अंग्रेजी)	(i) किसी भी विषय में स्नातक डिग्री; और
			(ii) अंग्रेजी में 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति। परंतु
			यदि रिक्तियों को भरने के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति धारक अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो
			140 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति धारक अभ्यर्थियों की
			भर्ती की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी वार्षिक वेतनवृद्धि या स्थायी
			किए जाने या पदोन्नति के पात्र तब तक नहीं होंगे जब तक कि वे 160
			शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर लेते।
			परंतु यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ संसदीय वृत्त-लेखक का पदभार
İ			ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 160 शब्द प्रति मिनट
			की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पद
			की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पद पर धारणाधिकार न होने के मामले में, उसे बर्खास्त किया जा सकता है
			की न्यूनतम आशुलिपि गति हासिल नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पद पर धारणाधिकार न होने के मामले में, उसे बर्खास्त किया जा सकता है और अन्य मामले में उसे उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेजा जा
			की न्यूनतम आशुलिपि गित हासिल नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पद पर धारणाधिकार न होने के मामले में, उसे बर्खास्त किया जा सकता है और अन्य मामले में उसे उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेजा जा सकता है। वांछनीय: एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			की न्यूनतम आशुलिपि गित हासिल नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पद पर धारणाधिकार न होने के मामले में, उसे बर्खास्त किया जा सकता है और अन्य मामले में उसे उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेजा जा सकता है। वांछनीय:

IV	7	वरिष्ठ अधिशासी/	अनिवार्यः
		विधायी/समिति/नयाचार सहायक	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। वांछनीयः
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
1) /	0	्रान्यांशान् ग्राट्याक	अनिवार्यः
IV	8	अनुसंधान सहायक	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विधि स्नातक डिग्री सहित किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।
			वांछनीयः
			(i) पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा। (ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	9	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	अनिवार्यः
			स्नातक और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की गति।
			अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में आशुलिपि का ज्ञान रखने वालों को
			प्राथमिकता दी जाएगी। वांछनीयः
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	10	सुरक्षा सहायक ग्रेड-॥	अनिवार्यः
			किसी भी विषय में रनातक और निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक धारक:-
			शारीरिक मानक:
			पुरुषः ऊंचाई १६७७.५ से.मी. (पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए २.४ से.मी. की छूट), न्यूनतम ४.५ से.मी. के विस्तार के साथ वक्ष की परिधि ७.५ से.मी.।
			महिलाः ऊंचाई १५४.६ से.मी. (पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए २.४ से.मी. की छूट)।
			नेत्र-दृष्टिः दोनों आंखों में 6/12, चश्मे के बिना।
			अभ्यर्थी शारीरिक दोष, दिव्यांगता और बीमारी से रहित होना चाहिए और उसे रंगांधता नहीं होनी चाहिए।
			वांछनीय:
			(i) एनसीसी में 'सी' प्रमाणपत्र या विशिष्ट खिलाड़ी, जिसने खेलकूद और एथलेटिक्स में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या देश
			का प्रतिनिधित्व किया हो या जिसने मान्यताप्राप्त अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।
			(ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

IV	11	कनिष्ठ पुस्तकालय	अनिवार्यः
		सहायक	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री।
			वांछनीयः
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अविध में 'ओ'
			स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	12	कनिष्ठ लिपिक (अंग्रेजी)	अनिवार्यः
			रनातक और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति।
			अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति
			धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
			वांछनीयः
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ'
			स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	13	कनिष्ठ लिपिक (हिन्दी)	अनिवार्यः
		, ,	स्नातक और हिन्दी में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति।
			अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति
			धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
			वांछनीय:
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ'
			स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	14	कनिष्ठ लिपिक (उर्दू)	अनिवार्यः
			स्नातक और उर्दू में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति।
			वांछनीय:
			एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या
			डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अविध में 'ओ'
			स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
V	15	अनुवादक	अनिवार्यः
			(i) डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में
			स्नातकोत्तर डिग्री; या डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के
			साथ-साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और
			हिन्दी विषयों के साथ-साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; और
			(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और
			अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या
			केन्द्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी संगठन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार
			के विधानमंडल के सचिवालय या लोक सभा सचिवालय या किसी उच्च
			न्यायालय अथवा भारतीय उच्चतम न्यायालय के कार्यालय में न्यूनतम
			2 वर्ष हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य करने का
			अनुभव।
		1	

			वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
V	16	कनिष्ठ प्रूफ रीडर	अनिवार्यः (i) अंग्रेजी अथवा हिन्दी विषय के साथ रनातक डिग्री; और (ii) एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा पुस्तक प्रकाशन में रनातकोत्तर डिप्लोमा; या किसी मुद्रणालय/प्रकाशन केन्द्र में वैतनिक पद पर 3 वर्ष का अनुभव जिसके मुख्य कार्य में पूफ रीडिंग का कार्य शामिल हो। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
VI	17	स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	अनिवार्यः (i) मैट्रिक या समकक्ष अर्हता; और (ii) एक वैध कमर्शियल एलएमवी/एचएमवी लाइसेंस।

#### ख. आयु सीमाः

- (i) आवेदन की अंतिम तारीख को आयु: कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार (अंग्रेजी/हिन्दी), कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार (असमिया), कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार (मराठी), कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार (उर्दू), अनुवादक और कनिष्ठ प्रूफ रीडर के पदों के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष पदों के लिए, अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अन्तिम तारीख के अनुसार की जाएगी।
- (ii) उपर्युक्त विहित ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी:
  - (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अ.जा. अथवा अ.ज.जा. की श्रेणी के अभ्यर्थी, जैसी स्थिति हो, के मामले में अधिकतम पांच वर्ष;
  - (ख) अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, जो क्रीमीलेयर में नहीं है, के मामले में अधिकतम तीन वर्ष;
  - (ग) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थी के मामले में अधिकतम दस वर्ष;
  - (घ) सरकारी सेवा या लोक सभा सचिवालय में सेवारत अभ्यर्थी के मामले में अधिकतम पांच वर्ष बशर्ते कि वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तारीख तक सरकारी सेवा अथवा लोक सभा सचिवालय में तीन वर्ष की नियमित एवं सतत् सेवा पूरी कर चुका/चुकी हो, या राज्य सभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और सरकारी सेवा में कुल मिलाकर तीन वर्षों की सम्मिलित नियमित और सतत् सेवा पूरी कर चुका/चुकी हो। इसके अतिरिक्त, आयु सीमा में छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वह कर्मचारी अपने अन्तिम चयन तक नियमित रोजगार में रहे, और
  - (ङ) यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, सैन्य सेवा की अवधि के साथ अधिकतम तीन वर्ष जो कि अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक रहेगी।
  - (iii) राज्य सभा सचिवालय की नियमित सेवा वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
  - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त पैरा ४ख(ii) (ग),(घ) और (ड·) के अन्य खण्डों के दायरे में भी आते हैं अर्थात् निःशक्त व्यक्ति अथवा सरकारी या लोक

सभा सचिवालय या भूतपूर्व सैनिकों के वर्ग से संबंधित हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आयु में संचयी छूट पाने के हकदार होंगे।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी जातिगत आरक्षण (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) या आयु सीमा में छूट का लाभ पाने का हकदार तभी होगा, यदि वह जाति/जनजाति विशेष, जिससे वह अभ्यर्थी संबंधित है, आरक्षण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई इन जातियों की सूची में सम्मिलित हो।
- (vi) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि वह पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि वह पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता के स्वरूप के लिए उपयुक्त अभिनिर्धारित हो। विज्ञापित पदों के लिए अनुमेय शारीरिक दिव्यांगता का स्वरूप उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई सारणी के कॉलम 5 में दिया गया है।
- (vii) 'भूतपूर्व सैनिक' शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। पैरा 4 ख(ii)(ड·) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए मान्य नहीं होगी जिन्हें उनके अपने निवेदन पर पदमुक्त किया गया हो।
- (viii) आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले या आयु सीमा में छूट प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण में विहित प्रपत्र में अपने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक/सरकारी कर्मचारी/लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय का कर्मचारी होने के समर्थन में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र राज्य सभा सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज की जा सकती है।
- (ix) लेखक प्रदान करने की सुविधाः चालीस प्रतिशत और उससे अधिक मंद दृष्टि वाले दृष्टि बाधित (वी.एच.) अभ्यर्थी परीक्षा में लेखक की सहायता ले सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार का निवेदन आवेदन-पत्र में किया गया हो। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को अपने लिए ऐसा लेखक स्वयं लाना होगा जो भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हो। ऐसे अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में परीक्षा, जिसके लिए लेखक की आवश्यकता है, की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पूर्व भर्ती प्रकोष्ठ के समक्ष आवेदन करना होगा और इसके लिए स्वीकृति लेनी होगी। लेखक हेतु निर्धारित मानदण्ड और लेखक हेतु स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Downloads) पर उपलब्ध है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं 'ब्रेल' में उपलब्ध नहीं किए जायेंगे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों/एक ही आंख से देख पाने वाले अभ्यर्थियों को, जो आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर लिखने/अंकित करने की इच्छा रखते हैं, परीक्षा हॉल में आवर्धक लैंस का उपयोग करने की अनुमित होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में स्वयं अपने आवर्धक लैंस लाने होंगे।

दृष्टिहीन और 40 प्रतिशत या उससे अधिक आंशिक रूप से दृष्टिबाधित सिहत दृष्टिबाधित अभ्यर्थी अंकगणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अपने साथ स्वयं अपना टेलर फ्रेम और पेपर के साथ ब्रेल स्लेट ला सकेगा। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को उसके लेखक, जहां अनुमत्य हो, के अतिरिक्त किसी भी परिचारक को परीक्षा परिसर के अन्दर लाने की अनुमति नहीं होगी।

- (x) अतिरिक्त समय का प्रावधानःचालीस प्रतिशत और इससे अधिक मंद दृष्टि वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रति घण्टा बीस मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- (ग) परिवीक्षा अविधः नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थी दो वर्षों की आरम्भिक अविध के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अविध के दौरान, अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और ऐसे परीक्षणों/परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो आवश्यक समझे जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी, जो इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पायेगा अथवा विहित परीक्षणों/परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा या अन्यथा नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाएगा, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

#### 5. आवेदन शुल्कः

- (i) आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक आवेदित पद हेतु 100 रुपये के आवेदन शुल्क सहित 60 रुपये की अतिरिक्त राशि बैंक प्रभार के रूप में भुगतान करनी होगी। इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से जमा करने के पश्चात् सृजित अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या वाले शुल्क भुगतान चालान के माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी को इस चालान का प्रिंट लेना होगा तथा ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से जमा करने के 96 घण्टे के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की किसी भी शाखा में नकद रूप में शुल्क जमा करना होगा और शुल्क भुगतान का विवरण एवं बैंक द्वारा पृष्टांकित शुल्क चालान की स्कैन की गई प्रति को अनुवर्ती पैरा 8 (ix) में बताए गए तरीके से अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को बैंक द्वारा (क) शाखा का नाम एवं कोड संख्या (ख) जर्नल/पुस्तिका संख्या, (ग) धनराशि जमा करने की तारीख और जमा की गयी राशि के साथ विधिवत् प्राप्त शुल्क भुगतान चालान की 'अभ्यर्थी की प्रति' अपने पास रखनी होगी और भर्ती प्रकोष्ट द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी माध्यम (अर्थात् चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, नकद आदि) से जमा किया गया/भेजा गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। एक बार भुगातन किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में न तो वापस/समायोजित किया जायेगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए आरक्षित रखा जायेगा।
- (ii) आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात् पूर्ण हो जायेगी।
- (iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त व्यक्ति, महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो पहले ही केन्द्रीय सरकार की सिविल सेवा में नियुक्ति पा चुके हैं, शुल्क में छूट पाने के हकदार नहीं होगे।

#### 6. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं माध्यम:

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए विभिन्न प्रश्न-पत्रों का विस्तृत पाठ्यक्रम राज्य सभा सिचवालय की वेबसाइट : (http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Syllabus/scheme of examination) पर उपलब्ध है। विशिष्ट भाषा के प्रश्न-पत्रों के अलावा, परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा।

#### 7. परीक्षा योजनाः

- (i) विभिन्न पदों के लिए परीक्षा योजना का विस्तृत ब्यौरा राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया के कई चरण हो सकते हैं अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार इत्यादि। विभिन्न पदों हेतू परीक्षाओं (जैसे-लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार) के कतिपय चरणों/प्रश्न-पत्रों के लिए विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सचिवालय के पास किसी भी पद के लिए परीक्षा के किन्हीं अन्य चरणों/प्रश्न-पत्रों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत विहित करने तथा पहले ही विहित किए जा चुके न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, किसी भी चरण/प्रश्न-पत्र के लिए यथा विहित अथवा संशोधित न्युनतम अर्हक अंक प्रतिशत को उस चरण/प्रश्न-पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करने से पूर्व अधिसूचित किया जाएगा। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें बहवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के पद को छोड़कर, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण हेत् अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक छंटनी परीक्षा का कार्य करेगी और केवल वे अभ्यर्थी ही परीक्षा के अगले चरण में भाग लेने के पात्र होंगे, जो भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अभ्यर्थी बुलाए जाने के लिए अनुमोदित मानदंड के अनुरूप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कम कर दिए जाएंगे। कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (हिंदी/अंग्रेजी) कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (असिमया), कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (मराठी) तथा कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार (उर्दू) के पदों के लिए भाषण परीक्षा होगी और केवल वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जो भाषण परीक्षा में निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करेंगे। अंतिम योग्यता क्रम सूची तैयार करने में भाषण परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित किया जाएगा।
- (ii) विभिन्न 'पद समूहों' के अंतर्गत पद/पदों के लिए भाषण परीक्षा/प्रारंभिक परीक्षा की योजना निम्नानुसार है:-

पद समूह I: पद समूह-I के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में 100 अंकों की भाषण परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक भाषा में भाषण परीक्षा के लिए 50 अंक होंगे। उस परीक्षा की अविध हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रत्येक भाषा के लिए 3 मिनट की होगी। अभ्यर्थी को अंग्रेजी में दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर तथा हिंदी में दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तीन-तीन मिनट के लिए तत्काल बोलना होगा। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की धाराप्रवाहिता, भाषा-सामग्री, शैली, उच्चारण एवं स्वराघात, विषय-सामग्री एवं वाणी का मूल्यांकन करना है।

पद समूह II: पद समूह II के अंतर्गत पदों के लिए अंग्रेजी में 100 अंकों की भाषण परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर तीन मिनट के लिए तत्काल बोलना होगा। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की धाराप्रवाहिता, भाषा-सामग्री, शैली, उच्चारण एवं स्वराघात, विषय-सामग्री एवं वाणी का मूल्यांकन करना है।

पद समूह III: पद समूह III के अंतर्गत पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयाविध 3 घंटे की होगी और उसमें 180 प्रश्नों वाला एक बहुवैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें (i) सामान्य बुद्धिमत्ता (तार्किक क्षमता); (ii) सामान्य ज्ञान; और (iii) हिंदी भाषा में से प्रत्येक से 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे।

पद समूह IV: पद समूह IV के अंतर्गत पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयाविध 3 घंटे की होगी और उसमें 180 प्रश्नों वाला एक बहु-वैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें (i) सामान्य बुद्धिमत्ता (तार्किक क्षमता); (ii) सामान्य ज्ञान; और (iii) अंग्रेजी भाषा में से प्रत्येक से 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे।

पद समूह V: पद समूह V के अंतर्गत पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयाविध 3 घंटे की होगी और उसमें 200 प्रश्नों वाला एक बहु-वैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें (i) सामान्य ज्ञान; (ii) सामान्य बुद्धिमत्ता (तार्किक क्षमता); (iii) अंग्रेजी भाषा (iv) हिंदी भाषा में से प्रत्येक से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

पद समूह VI: पद समूह-VI के अंतर्गत पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयाविध 2 घंटे की होगी और उसमें 100 प्रश्नों वाला एक बहु-वैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें (i) सामान्य ज्ञान; और (ii) सामान्य बुद्धिमत्ता में प्रत्येक से 20-20 प्रश्न; (क) सामान्य अंग्रेजी, (ख) सामान्य हिंदी और (ग) प्राथमिक गणित में से 10-10 प्रश्न; और वाहन चालन तकनीकों तथा मोटरकार प्रणालियों के बारे में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे।

#### 8. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

- (i) **ऑनलाइन आवेदन** जमा करने की सुविधा 18 **जुलाई**, 2016 **से** 29 **अगस्त**, 2016 तक उपलब्ध है। तथापि अभ्यर्थी द्वारा पहले से पंजीकृत आवेदन के लिए **शुल्क भुगतान का विवरण** 5 **सितम्बर**, 2016 **तक अपलोड किया जा सकता है।**
- (ii) अभ्यर्थी राज्य सभा की वेबसाइट http://www.rajyasabha.nic.in पर जाएं और हाइपरलिंक "Apply Online" पर क्लिक करें। यहां से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। पहली बार पंजीकरण करने के लिए "New Registration Form" टैब का चयन करें।
- (iii) अभ्यर्थी को अलग-अलग पद समूहों के अंतर्गत पद/पदों के लिए पृथक रूप से आवेदन जमा कराना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद समूहों के अंतर्गत पद/पदों के लिए आवेदन करना चाहता है; तो उसे प्रत्येक पद समूह के लिए नया पंजीकरण करना होगा।
- (iv) अभ्यर्थी को कोई भी प्रविष्टि करने या किसी भी विकल्प का चयन करने से पूर्व विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते हुए अभ्यर्थी द्वारा सभी अपेक्षित विवरण भरे जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र भरते समय ब्राउज़र में पॉप-अप विन्डो को खुलने देना चाहिए क्योंकि ये विन्डो आवेदन प्रपत्र भरने में सहायक होंगी।
- (v) ऑनलाइन आवेदन दो भागों में भरा जाएगाः (i) **आवेदन प्रपत्र को जमा करना और** (ii) **शुल्क भुगतान विवरण** एवं शुल्क चालान को अपलोड करना। दूसरा भाग केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है।
- (vi) अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत ब्यौरा, श्रेणी तथा आवेदित पद/पदों का ब्यौरा इत्यादि भरना होगा और इसके साथ-साथ हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की स्कैन की हुई रंगीन फोटो (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट तथा 20 केबी. से 50 केबी. तक के डिजिटल आकार में) तथा स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट तथा 10 केबी.

से 30 केबी. तक के डिजिटल आकार में) को अपलोड करना होगा। भरे हुए आवेदन प्रपन्न को जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा भरा गया प्रपन्न दिखाई देगा। अब अभ्यर्थी के पास उसे अंतिम रूप से जमा कराने के लिए 'SUBMIT FINALLY' बटन पर क्लिक करने या भरे हुए आवेदन प्रपन्न में किसी संशोधन की आवश्यकता होने पर प्रपन्न में वापस जाने के लिए 'EDIT' बटन को क्लिक करने का विकल्प होगा।

- (vii) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि 'SUBMIT FINALLY' बटन पर क्लिक करने से पूर्व वह यह जांच कर ले कि उसके द्वारा भरा गया सभी ब्यौरा सही है। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदन प्रपत्र में उसका नाम, उसके माता एवं पिता का नाम, जन्म-तिथि, इत्यादि सही रूप में भरे गए हैं और उसने अपनी श्रेणियों तथा छूट इत्यादि का सही उल्लेख किया है। कोई गलत सूचना उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करा सकती है। आवेदन को अंतिम रूप से जमा कर दिए जाने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में आवेदन-प्रपत्र में किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (viii) आवेदन-प्रपत्र को अंतिम रूप से जमा करने के पश्चात् एक पृष्ठ दिखाई देगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ब्यौरा तथा एक पंजीकरण संख्या लिखी होगी। अभ्यर्थी इस पंजीकरण संख्या को लिख लें या पृष्ठ का प्रिंट आउट ले लें। शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त अभ्यर्थी का पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र को अंतिम रूप से जमा कराने के पश्चात पूर्ण हो जाएगा।
- (ix) जिस अभ्यर्थी को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है, उसके मामले में भरे हुए प्रपत्र को अंतिम रूप से जमा करने पर उसकी पंजीकरण संख्या सिंहत एक शुल्क चालान दिखाई देगा और साथ ही उसमें शुल्क भुगतान के व्यौरे को अपलोड किए जाने का लिंक भी होगा। अभ्यर्थी को शुल्क चालान का प्रिंट आउट लेकर उसे किसी भी बैंकिंग कार्यदिवस में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की किसी भी शाखा में जमा कराना होगा। यह शुल्क आवेदन के अंतिम रूप से जमा करने के 96 घंटों के बाद केवल नकद रूप में ही जमा किया जा सकता है। शुल्क जमा कराने के पश्चात् अभ्यर्थी को राज्य सभा की वेबसाइट पर अपनी पंजीकरण संख्या, लॉगिन पासवर्ड तथा जन्म-तिथि का प्रयोग करते हुए "Apply Online" लिंक के जिरए पुनः लॉगिन करना होगा और शुल्क भुगतान का विवरण भरना होगा तथा उसके साथ-साथ, बैंक द्वारा पृष्ठांकित शुल्क चालान की स्कैन की गई तस्वीर (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में और 30 केबी. से 100 केबी. तक के डिजिटल आकार में) अपलोड करनी होगी। शुल्क भुगतान के विवरण को सफलतापूर्वक जमा किए जाने तथा स्कैन किए गए शुल्क चालान को अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन-प्रपत्र में भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा दिखाई देगा जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा और 'PRINT APPLICATION FORM' लिंक से मुद्रित भी किया जा सकेगा। ऐसे मामले में शुल्क भुगतान के विवरण के सफलतापूर्वक भरे जाने तथा स्कैन किए गए चालान को अपलोड किए जाने के पश्चात् ही पंजीकरण पूर्ण होगा।
- (x) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर तथा शुल्क चालान की जो तस्वीरें अपलोड की गयी हैं, वे स्पष्ट हों। फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा शुल्क चालान की तस्वीरें अस्पष्ट होने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (xi) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (xii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम रूप से जमा किए गए **आवेदन-प्रपत्र** के प्रिंट आउट को संदर्भ हेतु संभाल कर रखें।
- (xiii)मूल शुल्क चालान, जिसके माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया है, अभ्यर्थी द्वारा अपने पास संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि उसे भर्ती प्रकोष्ट द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

### सामान्य अनुदेश:

(i) अभ्यर्थियों के लिए एक पद समूह में शामिल एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु मात्र एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है परंतु उन्हें पद समूह में आवेदन किये गये प्रत्येक पद हेतु विहित रीति से 100/- रुपये की दर से शुल्क और बैंक प्रभार हेतु 60/-रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों, जो एक से अधिक पद समूहों के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, को प्रत्येक पद समूह के लिए पृथक् आवेदन करना चाहिए। एक ही पद समूह के लिए कई आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र अस्वीकार किये जा सकते हैं।

- (ii) अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे अंतिम रूप से जमा किए गये ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट आउट ले लें।
- (iii) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनों का प्रिंट आउट या कोई अन्य दस्तावेज भर्ती प्रकोष्ठ में डाक द्वारा भेजने अथवा स्वयं जाकर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में शुल्क चालान (यदि लागू हो) के साथ अपने आवेदन का ऑनलाइन प्रिंटआउट अपने साथ लाना होगा बशर्ते कि वे अंतिम चरण तक पहुंचते हैं।
- (iv) अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना पर्याप्त समय रहते ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है।
- (v) जो अभ्यर्थी स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं या सरकारी उपक्रम के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में अपने नियोक्ता से "अनापत्ति-प्रमाण-पत्र" लेकर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि नियोक्ता को राज्य सभा सचिवालय द्वारा अभ्यर्थी के किसी पद के लिए नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर कोई आपित्त नहीं है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। "अनापित प्रमाण पत्र" प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को उस संगठन, जिसमें वह कार्यरत है, की अपोक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए।
- (vi) परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। अभ्यर्थी को अपनी अर्हता के संबंध में अपने आवेदन में की गई घोषणा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सभा सचिवालय भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में ही अभ्यर्थी की अर्हता की विस्तृत जांच करेगा। इस दृष्टि से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता उसकी अर्हता की जांच किये जाने और उसके सभी प्रकार से योग्य पाए जाने तक अनंतिम होगी। यदि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो सचिवालय को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित करने में राज्य सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि चूंकि अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र/बुलावा-पत्र (कॉल लेटर) जारी किया जा चुका है और उसे परीक्षा/कौशल/ परीक्षा साक्षात्कार आदि में प्रवेश की अनुमित दी जा चुकी है, अतः सचिवालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गयी है या आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियां सचिवालय द्वारा सत्य और सही मान ली गई है।
- (vii) आयु/योग्यता/अनुभव/जाति/क्रीमी लेयर की स्थिति की गणना ऑनलाइन आवेदन को जमा किये जाने की अंतिम तिथि से की जाएगी।
- (viii) आवेदकों के लिए एक वैध निजी ई-मेल आईडी आवश्यक है और इसे कम-से-कम भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सिक्रय रखा जाना चाहिए। भर्ती प्रकोष्ठ प्रारंभिक परीक्षाओं, मुख्य परीक्षाओं, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार आदि के लिए 'कॉल लेटर' सिहत विभिन्न सूचनाएं ई-मेल द्वारा भेज सकता है या अभ्यर्थी राज्य सभा की वेबसाइट से 'कॉल लेटर' या विभिन्न सूचनाएं डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ix) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-प्रपन्न में एक मोबाइल फोन नंबर का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि एसएमएस/कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा सके।
- (x) पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और लेखक के लिए मानदंड के संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य सभा की वेबसाइट : (http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Syllabus/Scheme of Examination/Instructions to the Candidates) से प्राप्त की जा सकती है। जाति/िन:शक्तता/सरकारी सेवा/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र और लेखक की स्वीकृति के लिए प्रपत्र भी संबंधित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- (xi) अभ्यर्थियों को राज्य सभा की वेबसाइट पर भर्ती प्रकोष्ठ का वेब पृष्ठ नियमित रूप से अवश्य देखना चाहिए। भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं वेब पृष्ठ पर उपलब्ध रहेंगी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी अभ्यर्थी को सूचना के रूप में मानी जाएगी।

- (xii) यदि किसी पद के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु स्वीकृत मानक से कम या समान है, तो उस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- (xiii) परीक्षा के दूसरे चरण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के समय प्रारंभिक परीक्षा/कौशल परीक्षा/मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों के समान होने की स्थिति में ऐसे सभी अभ्यर्थी, जो संबंधित श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं, परीक्षा के आगामी चरण के लिए चयनित होंगे। तथापि, भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में समान अंक के मामले उत्तरोत्तर निम्नलिखित मानदंडों द्वारा निपटाए जाएंगे (i) उस पद के लिए निर्धारित वांछनीय योग्यता वाले अभ्यर्थी; (ii) लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; (iii) प्रारंभिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; और (iv) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी।
- (xiv) किसी तरह की पैरवी करने वाले अभ्यर्थी का आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### 10. परीक्षा केन्द्र

सभी परीक्षाओं, परीक्षणों और साक्षात्कार के केंद्र दिल्ली में होंगे। तथापि, भर्ती प्रकोष्ठ, राज्य सभा सिववालय चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और गुवाहाटी में भी किसी पद समूह के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराने की संभावना/व्यवहार्यता पर विचार करेगा बशर्ते कि उस पद समूह के अर्हता प्राप्त कम-से-कम 300 अभ्यर्थी अपनी प्रथम वरीयता के रूप में उस केंद्र का चयन करें। यदि उस पद समूह के अर्हता प्राप्त 300 से कम अभ्यर्थी अपनी प्रथम वरीयता के रूप में किसी केंद्र का चयन करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकोष्ठ, राज्य सभा सिववालय द्वारा आबंटित केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होना होगा जो अभ्यर्थी के केन्द्र के दूसरे और उसके बाद के विकल्प पर यथासंभव आधारित होगा। तथापि, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र के आबंटन में अंतिम विवेकाधिकार भर्ती प्रकोष्ठ का होगा।

#### 11. अभ्यर्थिता को निरस्त किया जाना

अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि उसे कोई अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो तुटिपूर्ण, नकली अथवा जाली या अन्यथा अस्वीकार्य हो अथवा वह कपटपूर्ण ढंग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक आदि के दर्जे का दावा नहीं करे। यदि इस तरह के किसी भी मामले का पता चलता है, तो राज्य सभा सचिवालय के पास अन्य उचित कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता या चयन वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। उस अभ्यर्थी को इस सचिवालय द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में भाग लेने से स्थायी रूप से या किसी निर्धारित अविध के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

#### 12. भर्ती को निरस्त करने का अधिकार

राज्य सभा सचिवालय को बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कोई कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी या किसी चरण/प्रश्न-पत्र भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।